

राजस्थान सरकार
राज्य राजस्व, आसूचना, निदेशालय,
भूतल, डी-ब्लॉक, वित्त भवन,
जनपथ, जयपुर।

क्रमांक एफ-2 (31) कम्प्यूटर ऑपरेटर/एसडीआरआई/2013/

दिनांक:

सीमित निविदा

निदेशालय में वर्ष 2013-14 के लिए चार कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन की सेवायें किराये पर लिये जाने हेतु अनुभवी एजेन्सी से सील बन्द लिफाफे में प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक एजेन्सी अपने प्रस्ताव दिनांक 19.08.2013 को 3.00 बजे तक निदेशालय के कमरा नं. 5 भूतल डी-ब्लॉक, वित्त भवन, जयपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 19.08.2013 तक प्राप्त प्रस्तावों को उसी दिन सांय 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा। निविदा की शर्तें स्पेसीफिकेशन निम्न प्रकार हैं।

1. Machine Specifications
 - a. Computer – Pentium P IV/Equivalent AMD Computer or higher, RAM 512 MB/1GB, Hard disk 80 GB or more, 15” Monitor/TFT, 10/100 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, parallel & USB ports Windows XP/Vista, Anti Virus, Preinstalled MS Office.
Responsibility of software license will be borne by the contractor.
 - b. Printer – Black and white laser printer with speed 12 ppm or more. For specific needs, dotmatrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.
 - c. UPS – Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.
2. Manpower – The personnel should be graduate, should have knowledge to operate computer in Windows/Linux environment, good knowledge/practice in Word Processor, Spread Sheets and Internet operations and other office related computer operations and should have sufficient speed of typing in Hindi and English.
3. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे लिखित अनुबंध करना होगा एवं निर्धारित अवधि के भीतर कम्प्यूटर स्थापित करना होगा।
4. अनुबंध प्रारम्भ में 6 माह की अवधि के लिए होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे बढ़ाया जाएगा।
5. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर में अनुरूप नहीं पाया जायेगा उसे अनुरूप कराया जाएगा।
6. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फीटिंग की व्यवस्था संबंधित विभाग करेगा। संबंधित विभाग यह सुविधा भी प्रदान करेगा कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सकें।
7. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होंगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

